UPSH010006812026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–341/2026

अभिमन्यु सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम–रामापुर बरकतपुर, थाना–रौजा, जिला–शाहजहॉपुरं

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–109/2021,
धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 व
धारा–3(1)द एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–रौजा, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–16.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अभिमन्यु सिंह** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पैरोकार राजवीर सिंह प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है तथा अभियुक्त को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 भा0ना0सु0 संहिता संख्या–6400/2025, श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, निर्णीत दिनांकित 12.08.2025 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप, उसके जमानत सम्बन्धी अधिकारों से अवगत कराया गया। अभियुक्त ने आग्रह किया कि उसके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर, निस्तारण किया जावे।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है एवं न ही पूर्व में खारिज हुआ है।

न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये और उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध प्रकट किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कंचनलाल द्वारा दिनांक 10.03.2020 को सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना दर्ज करायी गयी कि वह अपने तालाब पर मछली की रखवाली कर रहा था। समय लगभग 05:00 बजे अभिमन्यु पुत्र अर्जुन सिंह दारू पीकर उसके तालाब में मछली पकड़ने के लिये घूसा था। उसने मना किया तो अभियुक्त अभिमन्यु उसे जातिसूचक गालियॉ देने लगा और उसे हरे गन्ने से मारापीटा। उसके चिल्लाने पर वहॉ लोग पहुँचे और उसे बचाया, तभी अभियुक्त, उसे धमकी देकर गया कि तालाब पर मिल गये तो जान से मार देंगे।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूँठा फॅसाया गया है। वह अपने परिवार की देखभाल करने वाला अकेला है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। उसके द्वारा साक्ष्य खण्डन करने व न्यायालय से पलायन करने की कोई सम्भावना नहीं है। वह जमानत उपरान्त समय से हाजिर अदालत आता रहेगा। उक्त आधारों पर अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.03.16 16:56:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करते हुये, मारपीट की गयी तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

वादी एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण तथा अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना, जमानत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पर वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करते हुये, मारपीट करने तथा उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त सजायाफ़्ता हो अथवा उसका कोई आपराधिक इतिहास हो, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई तर्क अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का युक्तियुक्त आधार पाता है। तद्नुसार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त **अभिमन्यु सिंह** द्वारा **मु0 25,000/–रूपये** का **व्यक्तिगत बंधपत्र** व इसी धनराशि का **एक प्रतिभू** दाखिल किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– प्रार्थी/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वे कोई स्थगन नहीं देगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त अपराध, जैसा करने का उस पर अभियोग या संदेह है, जैसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा व न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः 16.03.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश, अनु0 जाति/
अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
कक्ष संख्या–02, शाहजहाँपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 6315